दिनांक 19.08.2016 को केंद्रीय जल आयोग के समिति कक्ष में तीसरी मंजिल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की पहली बैठक का कार्यवृत्त

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की पहली बैठक दिनांक 19.08.2016 को शाम 04.00 बजे केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित की गई । यह बैठक केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष और समूह के सदस्य संयोजक श्री ए बी पंड्या ने बुलाई थी । उन्होंने सभी सदस्यों, आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया । प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

(1) पृष्ठभूमि:

केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष और समूह के सदस्य श्री ए डी मोहिले ने महानिदेशक, राजविअ से अनुरोध किया कि वे संक्षेप में उस पृष्ठभूमि के बारे में बताएं जिसमें इस समूह का गठन किया गया था। महानिदेशक ,राजविअ ने बताया कि 15 जून, 2016 को आयोजित कार्यबल की 4वीं बैठक के दौरान नदी बेसिन की जल संतुलन अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने और नदी बेसिन में अधिशेष जल तैयार करने और कानूनी मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हुए, नदियों को आपस में जोड़ने, नदी बेसिन में अधिशेष पानी के मुद्दे और अंतर बेसिन जल अंतरण पर विभिन्न ट्रिब्यूनल अवार्ड्स में शामिल कानूनी पहलुओं को देखने के लिए एक समूह का गठन करने का निर्णय लिया। तदनुसार, कानूनी पहलुओं की जांच करने के लिए एक समूह का गठन किया गया था और नदियों को आपस में जोड़ने और अन्य संबंधित मुद्दों के कार्यान्वयन के लिए सख्त प्रावधानों की आवश्यकता थी।

गठित समूह के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं-

(i) कानूनी पहलुओं की जांच करना और नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सक्षम उपबंधों का सुझाव देना,
(ii) नदी बेसिन में अधिशेष जल को उसके सभी आयामों में देखना और विभिन्न कार्यान्वयन योग्य विकल्पों का सुझाव देना,
(iii) अधिकरणों के पुरस्कारों और अंतर बेसिन जल अंतरणों की योजना पर उनके प्रभाव या अन्यथा का अध्ययन करना, और
(iv) उपर्युक्त पहलुओं से संबंधित कोई अन्य मामला।

महानिदेशक ,राजविअ ने यह भी सूचित किया कि बैठक में समूह द्वारा सार्थक चर्चा करने के लिए पहली बैठक की सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज परिचालित किए गए थे:

(i) नदी बेसिन के इष्टतम विकास के लिए अपेक्षित कार्यकलापों का अध्ययन करने के लिए दोबिया समिति का प्रतिवेदन और इसे प्राप्त करने के लिए मौजूदा नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 में अपेक्षित परिवर्तन।
(ii) राष्ट्रीय समेकित जल संसाधन विकास योजना आयोग के प्रतिवेदन के विधिक और संस्थागत ढांचे के संबंध में अध्याय।

(2) चर्चा का सार:

i) समूह के सदस्य श्री एडी मोहिले ने महानिदेशक ,राजविअ से पूछा की कि क्या नदियों को आपस में जोड़ने के कानूनी पहलू पर कोई विस्तृत नोट तैयार किया गया था। महानिदेशक ,राजविअ ने स्पष्ट किया कि आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कानूनी हस्तक्षेप की मांग करने के संबंध में एक विस्तृत नोट कार्य बल के अध्यक्ष के निर्देशानुसार पहले तैयार किया गया था और उन्होंने इसकी एक प्रति श्री मोहिले को सौंपी थी। उस समय गुजरात

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस मुद्दे की जांच कराने के लिए एक विचार किया गया था। बाद में, इस मुद्दे को स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यान्वयन के लिए जल से संबंधित मौजूदा संवैधानिक प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं और इसलिए इस मुद्दे को इस पर निर्देश देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजा जाना चाहिए। श्री मोहिले का विचार था कि इस स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप तब तक आवश्यक नहीं हो सकता है जब तक कि जिस मुद्दे पर अपेक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है, उसे तब तक पक्का नहीं किया जाता है।

ii) समूह के सदस्य श्री गोपालकृष्णन ने कहा कि टीएसी दिशानिर्देशों के अनुसार राजविअ द्वारा तैयार किए गए 'अधिशेष जल' पर उस समय सवाल खड़ा हो गया जब तेलंगाना के प्रतिनिधि ने एससीआईएलआर की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान इस मुद्दे को उठाया । तदनुसार, इस मामले को अधिशेष जल पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कार्यबल को भेजा गया था । आईएलआर संबंधी कार्यबल ने बैठक में आमंत्रित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ दिशा-निर्देशों पर चर्चा करने और उनकी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देशों में संशोधन करने के लिए राजविअ के टीएसी की बैठक आयोजित करें। टीएसी की दिनांक 23.5.2016 को आयोजित अपनी 42 वीं बैठक में सिफारिशों के आधार पर , राजविअ द्वारा जल संतुलन अध्ययन तैयार करने के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित और परिचालित किया गया था, जिसमें अधिशेष पानी पर काम करना भी शामिल था। तथापि, तेलंगाना अभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं था और चाहता था कि ट्रिब्यूनल अवार्ड्स के अंतर्गत आने वाले बेसिनों से उन राज्यों के साथ अलग-अलग स्तर पर निपटा जाना चाहिए जो ट्रिब्यूनल अवार्ड्स के अंतर्गत शामिल नहीं हैं । श्री गोपालकृष्णन का विचार था कि समूह को नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में राजविअ के गतिरोध को दूर करने के लिए दोबिया समिति की रिपोर्ट का उपयोग करना चाहिए जो नवीनतम रिपोर्ट थी और नवंबर, 2012 में जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी । उन्होंने बताया कि दोबिया समिति ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि वह जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए संशोधित नदी बोर्ड अधिनियम और प्रभावी संस्थागत तंत्र लाकर जल क्षेत्र में साहसिक कदम उठाए। श्री मोहिले से यह पूछे जाने पर कि क्या दोबिया समिति की रिपोर्ट में अंतर-बेसिन जल अंतरण और अधिशेष जल के मुद्दे को शामिल किया गया है, श्री गोपालकृष्णन ने हां में उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि अधिशेष जल के मुद्दे को अप्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट में शामिल किया गया था।

iii) श्री मोहिले ने कहा कि अधिशेष एक सापेक्ष शब्द था। एक विशेष नदी बेसिन का पानी एक पक्ष के लिए अधिशेष हो सकता है जबकि यह दूसरे के लिए अधिशेष नहीं हो सकता है। उन्होंने अमेज़ॅन नदी का उदाहरण दिया, जो भारत के गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से भी बड़ी थी । प्रथम दृष्टया, यह बेसिन में भारी मात्रा में अधिशेष जल प्रतीत होता है लेकिन जब अंतर-बेसिन अंतरण का प्रश्न आया, तो कुछ राज्य अधिशेष जल पर सहमत नहीं हुए और उन्होंने जल के अंतरण की अनुमति नहीं दी। इसलिए, उनका विचार था कि भारत जैसे संघीय देश में आईएलआर के लिए कानून बनाना आसान काम नहीं हो सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने 22-23 सितंबर, 2016 को आयोजित होने वाले सीबीआईपी सत्र के लिए संबंधित विषयों पर दो पत्र लिखे थे । वह समूह के सदस्यों के लिए इन दो पत्रों की प्रतियां प्राप्त करने का प्रयास करेगा ।

iv) प्रो अवधेश प्रताप, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ने कहा कि पूरे विश्व में जल बंटवारे के विवाद बने हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को हल करने के लिए जल न्यायशास्त्र विकसित किया गया है। सिद्धांतों को अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए विकसित किया गया था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में दो मुख्य सिद्धांत उपयुक्त थे : (i) *समुदाय के हित का* सिद्धांत, और (ii) *न्यायसंगत उपयोग* का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में विस्तृत नोट के लिए, वह अगली बैठक में साहित्य प्रस्तुत करेंगे।

v) श्री पंड्या ने भारत में जीएसटी विधेयक का उदाहरण दिया और उल्लेख किया कि यदि आईएलआर विधेयक अधिनियमित किया जाता है, तो भी इसका कार्यान्वयन तब तक आसान नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार को उचित अधिकार नहीं दिया जाता।

(vi) श्री गोपालकृष्णन ने दोबिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित संस्थागत और विधायी सुधारों और नदी बेसिन प्रबंधन अधिनियम, 2012 (विचारित संशोधन के साथ) के प्रारूप पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। प्रस्तुति की एक प्रति अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

vii) श्री विराग गुप्ता, संवैधानिक और पर्यावरण कानून विशेषज्ञ ने कहा कि कानून बहुत स्पष्ट था। तथापि, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए इस तर्क पर संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता थी कि देश को आईएलआर कार्यक्रम से सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल और औद्योगिक जल उपयोग तथा नौवहन, बाढ़ नियंत्रण आदि के अत्यधिक लाभ प्राप्त हुए हैं। जहां तक अधिशेष जल का संबंध है, उन्होंने उल्लेख किया कि यदि नदी किसी राज्य के भीतर बह रही थी, तो यह अधिशेष हो सकती है लेकिन यदि यह दो राज्यों में बह रही थी, तो यह एक राज्य में अधिशेष हो सकती है और दूसरे राज्य में अधिशेष नहीं हो सकती है। इसी तरह, एक विशेष नदी में, जुलाई के महीने में पानी अधिशेष हो सकता है लेकिन मई के महीने में यह कम हो सकता है। इसलिए 'सरप्लस वाटर' को परिभाषित करना आसान नहीं था। कानूनी पहलुओं से संबंधित श्री मोहिले के पत्रों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि इस मुद्दे पर जो भी सामग्री उपलब्ध है, उसे अगली बैठक में उनके संदर्भ और फलदायी चर्चा के लिए समूह के सदस्यों के बीच परिचालित किया जा सकता है।

viii) श्री विराग गुप्ता ने आगे कहा कि सूची-I की प्रविष्टि 56 को निम्नलिखित दो संशोधनों के लिए संसाधित किया जाना चाहिए :

1. आईएलआर इस प्रकार किया जाना चाहिए: (i) यह वर्तमान में पहचान की गई अंतिम सिंचाई क्षमता के ऊपर 35 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई प्रदान करेगा, (ii) यह 35,000 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन करेगा और (iii) और इसी तरह यह यह उच्च परिमाण के बाढ़ को कम करेगा।
2. नदियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।

(ix) श्री पंड्या ने कानून के प्रावधानों की प्रयोज्यता पर चर्चा की और कहा कि राज्य के पास कानून को लागू करने की क्षमता होनी चाहिए।

x) श्री विराग गुप्ता ने नदियों की नेटवर्किंग से संबंधित जनहित याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नदी का राष्ट्रीयकरण जनहित याचिका का मुख्य भाग है। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने महसूस किया कि संसद को इस आशय का कानून बनाना चाहिए और इसीलिए इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया।

xi) श्री गोपालकृष्णन ने उल्लेख किया कि दोबिया समिति की रिपोर्ट पर सामान्य अवधारणा पत्र (लगभग 3-4 पृष्ठों) के रूप में श्वेत पत्र 2013 में संसद में तत्कालीन माननीय मंत्री (जल संसाधन) श्री हरीश रावत द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

xii) केंद्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता (बीपीएमओ) श्री आर के जैन ने सुझाव दिया कि यदि जल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाना है, तो दाता राज्य को दूसरे राज्यों (राज्यों) के प्रतिरोध से बचने के लिए मौद्रिक रूप से उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

xiii) श्री पंड्या का विचार था कि आईएलआर अधिनियम पहले आना चाहिए, क्योंकि यदि नदी बेसिन अधिनियम पहले आता है, तो यह आईएलआर कार्यक्रम को बैकफुट पर धकेल देगा।

xiv) श्री मोहिले ने महसूस किया कि जल आवंटन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें सह-बेसिन राज्यों के अलावा, केंद्र सरकार को भी पर्यावरणीय और नौवहन संबंधी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए पक्षकार बनाया

जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया जाना चाहिए कि गैर-बेसिन राज्यों की मांगों पर किस हद तक विचार किया जाना चाहिए।

(2) महत्वपूर्ण कार्रवाई बिंदुओं का सार:

1. मौजूदा कानूनी प्रावधानों को एक स्थान पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और अगली बैठक से पहले परिचालित किया जाना चाहिए ।

कार्रवाई: श्री के.पी. गुप्ता, अधीक्षण अभियंता

2. प्रस्तावित सीबीआईपी सत्र के लिए श्री एडी मोहिले और श्री अवधेश प्रताप के पत्रों को परिचालित किया जाना चाहिए।

कार्रवाई: श्री के.पी. गुप्ता, अधीक्षण अभियंता

3. राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा तैयार किए गए राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय नदी जल के आबंटन (1998) के लिए राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों के प्रारूप के संबंध में सूचना केंद्रीय जल आयोग के एनडब्ल्यूपी डीटीई से प्राप्त की जानी चाहिए।

कार्रवाई: श्री एम.एस अग्रवाल, वरिष्ठ सलाहकार

4. उच्चतम न्यायालय के फैसलों का सार तैयार किया जाना चाहिए।

कार्रवाई: श्री एमएस अग्रवाल, वरिष्ठ सलाहकार

5. कार्य की मात्रा और समूह के समक्ष विषय वस्तु में शामिल मुद्दों की जटिलता के लिए विचार-विमर्श करने और उचित सिफारिशों के साथ बाहर आने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। इसलिए, कानूनी पहलुओं पर समूह के कार्यकाल को और चार महीने तक बढ़ाने के लिए आईएलआर के लिए कार्यबल से संपर्क किया जा सकता है।

कार्रवाई: श्री के.पी. गुप्ता, अधीक्षण अभियंता

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

अनुलग्नक-I
प्रतिभागियों की सूची

दिनांक 19 अगस्त, 2016 को सेवा भवन, आर.के पुरम, नई दिल्ली में आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह" की पहली बैठक।

1.	श्री एडी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
2.	श्री एम गोपालकृष्णन, पूर्व सदस्य, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
3.	श्री विराग गुप्ता, संवैधानिक और पर्यावरण कानून विशेषज्ञ	सदस्य

4.	प्रो अवधेश प्रताप, जल कानून और प्रबंधन विशेषज्ञ	सदस्य
5.	श्री ए बी पांडया, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य-संयोजक
	विशेष आमंत्रित सदस्य	
6.	श्री आर के जैन मुख्य अभियंता (आईएमओ), केंद्रीय जल आयोग	
7.	श्री बी.पी. पांडे निदेशक (आईएसएम), केंद्रीय जल आयोग	
	राजविअ के अधिकारी	
8.	श्री एस मसूद हुसैन, महानिदेशक , राजविअ	
9.	श्री आर के जैन मुख्य अभियंता (मुख्यालय)	
8.	श्री के पी गुप्ता अधीक्षण अभियंता	
9.	श्री एम एस अग्रवाल वरिष्ठ सलाहकार	
10.	श्री एम के सिन्हा वरिष्ठ सलाहकार	